



कार्यालय कलेक्टर, जिला - कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमांक / 9849 / भू-अर्जन / 2025

-- अधिसूचना --

कोरबा, दिनांक 23/03/2025

क्रमांक 202109050500004 / अ-82 / 2020-21, चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की, ए.डी.बी.परियोजना लोन-3 के अंतर्गत पैकेज-23, पाली- सिल्ली मार्ग लम्बाई 21.481 कि.मी. के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है--

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

- | | | | |
|-----|-------------------|---|------------|
| 01. | जिला | : | कोरबा |
| 02. | तहसील | : | पाली |
| 03. | ग्राम | : | सिल्ली |
| 04. | भूमि का क्षेत्रफल | : | 1.8050 हे. |

खसरा	रकबा (हे.में)
444/1	0.042
444/4	0.0432
630/3	0.0450
444/5	0.0368
598	0.018
630/1	0.0496
443/5	0.010
443/4	0.010
443/3	0.010
443/2	0.010
443/1	0.010
442/2	0.034
442/1	0.057
442/6	0.005
442/3	0.052
442/5	0.030
440	0.189
139	0.177
145	0.031
442/7	0.0094
600	0.165
630/5	0.046
630/2	0.048
630/4	0.046
138/1/ख/2	0.018
138/1/ग	0.016
138/3	0.0294

af.

153/4	0.003
196/1	0.048
194/1	0.082
628, 629	0.036
599/1	0.049
599/4	0.049
602/1	0.040
602/3	0.049
635/4	0.2112
36 खसरे	1.8050

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी पाली
जिला- कोरबा (छ.ग.)


(अजीत वसंत)
कलेक्टर
एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग